न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3254–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–9–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 927/2009–10/निगरानी.

1– लालचन्द पुत्र नन्नूलाल मेर
2– कोमल पुत्र नन्नूलाल मेर
निवासीगण ग्राम बेरखेड़ी रूठियाई
तहसील राघौगढ़ जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

बाबूलाल पुत्र प्रभुलाल मीना
निवासी ग्राम बेरखेड़ी काशीनगर रूठियाई
तहसील राघौगढ़ जिला गुना .....अनावेदक

श्री एस.के. बाजपेयी,अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक,अनावेदक

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 15/9/15 **को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 4–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा उसके स्वामित्व की ग्राम बेरखेड़ी रूठियाई स्थित सर्वे कमांक 25/5 रकबा 2.090 हेक्टेयर भूमि का ए.एस.एल.आर. से सीमांकन कराये जाने हेतु कलेक्टर, गुना को जनसुनवाई में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने पर तहसीलदार, राघौगढ़ जिला गुना द्वारा प्रकरण कमांक 101/अ–12/09–10 दर्ज कर आदेशिका दिनांक

6–4–10 द्वारा ए.एस.एल.आर. सहित दो पटवारियों का सीमांकन दल गठित किया गया । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, गुना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 18–5–10 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–9–2012 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे कमांक 26 आवेदकगण के स्वामित्व की भूमि है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 26–7–2008 को कराये गये सीमांकन में आवेदकगण की भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार पायी गई, उक्त सीमांकन को अनावेदक द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई, इसलिए वह अंतिम हो चुका है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक को आवेदकगण की भूमि का सीमांकन कराने का कोई अधिकार नहीं है, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय ने आवेदकगण की आपत्तियों का निराकरण किये बिना सीमांकन का आदेश देने में गंभीर भूल की है । अपर कलेक्टर का आदेश त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि तहसीलदार को पूर्व में किये गये सीमांकन का परीक्षण करने का अधिकार नहीं है और अपर आयुक्त ने इस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में विधि की भूल की है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 6–4–10 द्वारा सीमांकन दल गठित किया गया है, जिसकी निगरानी अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त की जा चुकी है और अपर कलेक्टर के आदेश को विधिसम्मत पाते हुए अपर आयुक्त द्वारा हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया है । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ–12/09–10 दर्ज कर दिनांक 6–4–2010 को सीमांकन हेतु सीमांकन दल गठित किया गया है । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए तहसील न्यायालय को आदेशित किया गया कि सीमांकन के पूर्व संबंधित कृषकों को सीमांकन की सूचना देकर एस.एल.आर. के माध्यम से पुलिस बल की उपस्थिति में आराजी नं. 25/5 का विधिवत सीमांकन तत्काल कराया जावे एवं पूर्व में राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 15–12–08 को किये गये सीमांकन का भी परीक्षण किया जावे तथा पक्षकारों को सुनकर नियमानुसार सीमांकन स्वीकृति की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जावे । अपर कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने से ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं होने देना चाहते हैं, जो कि उचित कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 4–9–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर